फर्द अहकाम

मोहनलाल बनाम शैतान वगै0

...ना पत्र संख्याः 03/2022

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
05.09.2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम दत्तावता, पटवार हल्का चतरपुरा, भू अभि.नि.क्षेत्र रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में हाल खसरा नम्बर 111 रकबा 0.03 हैक्टयर, हाल खसरा नम्बर 39 रकबा 1.09 हैक्टयर, हाल खसरा नम्बर 39/213 रकबा 0.28 हैक्टयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.40 हैक्टयर स्थित है, जो साबिक खसरा नम्बर 18 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 19 रकबा 04 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 04 बीघा 8 बिस्वा से बने है, जो की वादग्रस्त आराजी है। हाल भू-प्रबन्ध सर्वे संवत 2046-65 से पूर्व साबिक वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 18 व 19 की खातेदारी रूडा व हनुमान पिता जगन्नाथ हिस्सा 1/2 भाग दर्ज थी, जिनसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से उचित प्रतिफल राशि अदा कर प्रार्थी वादी के पिता मुरली पुत्र नारायण जाति जाट ने रूडा व हनुमान पिता जगन्नाथ का हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.1992 द्वारा क्रय कर मौके पर वास्तविक व भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.1992 उप-पंजीयक आमेर के कार्यालय में रजिट्रशन नम्बर 518 बुक नम्बर 01 वॉल्यूम नम्बर 138 पेज संख्या 56 दिनांक 15.06.1992 को अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 वॉल्यूम संख्या 78 क्रम संख्या 18 पृष्ट संख्या 125-130 पर पंजीबद्ध हुआ है। विक्रय पत्र दिनांक 15.06.1992 कि पालना में विक्रेता रूडा व हनुमान पिता जगन्नाथ का हिस्सा 1/2 भाग क्रेता प्रार्थी / वादी के पिता मुरली पुत्र नारायण के नाम दर्ज करने हेतु भू-प्रबन्ध नामान्तरण संख्या 09 दिनांक 28.08.1992 द्वारा इन्द्राज चालू राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर गलत दर्ज कर दिया, जबकि मुताबिक विक्रय पत्र साबिक खसरा नम्बर 18 व 19 के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया जाना चाहिये था। इस गलती को निरीक्षक द्वारा दिनांक 27.08.1992 को नामांतरण की पुस्त पर नोट अंकित किया कि "विक्रय पत्र [illegible] हुआ है हाल में 0.29 हैक्टयर कमी है, नामान्तरण [illegible] खसरा नम्बर 18 रकबा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 19 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा से स्वीकृत किया जाना उचित होगा।" [illegible] महोदय की जाँच रिपोर्ट के विपरीत [illegible] आमेर द्वारा दिनांक 28.08.1992 को गलत रूप से नामान्तरण को साबिक रिकॉर्ड व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरीत स्वीकृत कर दिया, जो दिनांक 01.09.1992 द्वारा पर्चा खतौनी पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। हाल खसरा नम्बर 39 की रकबा बरारी करने पर हाल खसरा नम्बर 39 का रकबा मात्र 0.	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:35:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

79 हैक्टयर ही बैठता है, जो खसरा नम्बर 39 में से काटकर अविधिक रूप से नया खसरा नम्बर 39/213 रकबा कायम करने से गलत इन्द्राज हुआ है दौराने भू–प्रबन्ध संक्रिया हाल खसरा नम्बर 39 का वास्तविक रकबा 0.79 हैक्टयर को खसरा पतृक पर रकबा 0.87 व 1.23 हैक्टयर बाद में 1.11 हैक्टयर व अन्ततः 1.09 हैक्टयर गलत दर्ज कर दिया तथा राजस्व जमाबंदी रकबा 1.09 हैक्टयर की जारी कर दी जबकि हाल खसरा नम्बर 39 के वास्तविक रकबे 0.79 हैक्टयर को गलत रूप से 1.09 हैक्टयर दर्ज कर दिया तथा हाल खसरा नम्बर 39 के राजस्व नक्शे में से कमी कर हाल खसरा नम्बर 39/213 रकबा 0.28 हैक्टयर कायम कर रजिस्र्टर्ड विक्रय पत्र के विपरीत बेचान व कब्जा हस्तांतरण के बावजूद क्षेत्राधिकार विहिन कार्यवाही करते हुये वादी के हकपूर्वाधिकारी मुरली पुत्र नारायण का हिस्सा 1/2 भाग पुनः अविधिक रूप से विक्रेता के नाम गलत दर्ज कर दिया जबकि हाल खसरा नम्बर 39, 39/213, 111 तीनो की राजस्व सीमाओ की रकबा बरारी करने पर तीनों का कुल रकबा 1.12 हैक्टयर आ रहा है। जबकि मुताबिक जमाबंदी तीनो का रकबा 1.40 हैक्टयर गलत दर्ज किया गया है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। यह कि भू–प्रबन्ध कर्मचारियो ने क्षेत्राधिकार विहीन कार्यवाही करते हुये अविधिक रूप से खसरा नम्बर 39 से काटकर खसरा नम्बर 39/213 कायम कर दिया लेकिन हाल खसरा नम्बर 39 / 213 का मिलान क्षेत्रफल ही नही बनाया तथा यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि हाल खसरा नम्बर 39/213 का शेष 1/2 भाग अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 16 के नाम दर्ज कर दिया लेकिन प्रार्थी/वादी के हकपूर्वाधिकारी मुरली का नाम के स्थान पर विक्रय पत्र व वास्तविक कब्जे के विपरीत विक्रेता के नाम अविधिक रूप से दर्ज कर दिया, जो विक्रेता के स्थान पर क्रेता के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था जो भू–प्रबन्ध विभाग गम्भीर लापरवाही पूर्वक किया गया अविधिक इन्द्राज हैं जो दुरूस्त किये जाने योग्य है । हाल खसरा नम्बर 39/213 में वादी विरासतन हको के तहत साधिकार काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी /वादी से पूर्व प्रार्थी /वादी के हकपूर्वाधिकारी काबिज थे। वर्तमान में प्रार्थी/वादी ने फसल बो रखी है, पशु–बाडे तथा आवासीय परिसर बना रखा है, जिसमें विद्युत कनेक्शन भी प्रार्थी / वादी के नाम चालू है। प्रार्थी /वादी का हाल खसरा नम्बर 111, 39 व 39 / 213 में मुताबिक विक्रय पत्र हिस्से अनुसार अनन्य कब्जा है, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 का वादग्रस्त आराजी में कोई कब्जा व हक–अधिकार शेष नही है । हाल ही दिनांक 25.10.2021 को अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रार्थी / वादी को ऐलानियाँ धमकी दी की "खसरा नम्बर 39/213 से पशु–बाडे व आवासीय परिसर को खाली करो यह भूमि मेरे पिता के नाम दर्ज है। तुम कब्जा खाली करो नही तो मैं तुम्हे लठ के जोर से

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) मुख्यालय–जयपुर

फर्द अहकाम
मोहनलाल बनाम शैतान वगै0
पत्र संख्याः 03/2022

बेदखल करवा दूंगा।" अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 की उक्त धमकी से वाद कारण उत्पन्न हुआ तब राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी ली तथा पुनः अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 से खसरा नम्बर 39/213 प्रार्थी/वादी के नाम दर्ज कराने के लिये निवेदन किया तो अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 आगबबूला हो गये तथा पुनः धमकी दी की "तुम कब्जा खाली कर दो नही तो हम मुताबिक जमाबंदी बेचान कर देंगे जो अजनबी क्रेता लठ के जोर से कब्जा खाली करवा लेगा।" जिससे वाद कारण लगातार उत्पन्न हो रहा है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ । प्रार्थी/वादी को हक व अधिकार हासिल है कि वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 39/213 रकबा 0.28 हैक्टयर स्थित ग्राम दत्तावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर के बाबत् वाद बहक अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01 प्रार्थी /वादी लगायत विरुद्ध बाबत् 08 घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज का इस प्रकार डिक्री करवाये की अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 के हकपूर्वाधिकारी हनुमान पुत्र जगन्नाथ जाति जाट हिस्सा 1/2 भाग के स्थान पर मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.1992 वादी को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तद्नुसार वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 39/213 रकबा 0.28 हैक्टयर से हनुमान पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 जाति जाट का नाम हजफ किया जाना व मूल खसरा नम्बर 39 का रकबा 1.09 हैक्टयर को वास्तविक रकबे के मुताबिक रकबा 0.79 हैक्टयर बरारी करवाई जाकर खसरा नम्बर 39 का रकबा 0.79 हैक्टयर किया जाकर इन्द्राज दुरुस्ती की जानी न्यायहित में अतिवाश्यक है। वाद बहक प्रार्थी/वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 10 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का इस प्रकार डिक्री किया जावे कि वादग्रस्त आराजी हाल खसरा 39 / 213 स्थित ग्राम दत्तावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर का बेचान हस्तांतरण नही करे, वादी के उपयोग–उपभोग व कब्जे–कारत में बाधा कारित नहीं करें, उक्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही अपने एजेण्ट, सर्वन्ट व वर्कमेन आदि से करवाये। मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हमने पाया कि प्रार्थी/वादी की ओर से पेश मूल वाद बाबत् घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का है प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 39/213 पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 39/213 पर प्रार्थी का कोई संबंध सरोकार नहीं है। ना ही साबिक व हाल खसरा नम्बर से ऐसा सिद्ध होता है कि खसरा नम्बर 18 व 19 से खसरा नम्बर 39/213 बना है। उपलब्ध दस्तावेजी तथ्यों से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये। ऐसी स्थिति में प्रथम

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय–जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:35:50 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

मोहनलाल बनाम शैतान वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 03/2022

दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थी को कोई अपूर्णनीय क्षति कारित नहीं होगी। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो मूल वाद के हमफिता रहे।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:35:50 IST
Reason: SelfAttested